

डिस्कलेमर

आदेश संख्या 45/2021-22 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या : ऐरा/20010/एमवाईटीपी/पुणे/सीपी-III/2021-26

आदेश संख्या 45/2021-22



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (पीएनक्यू) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 17 मार्च, 2022

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110 003

13 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के निर्णयों का सार पुनः नीचे दिया गया है:

अध्याय 2 द्वितीय नियंत्रण अवधि का टू-अप

- 2.12.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 9 में दिए गए विवरण के अनुसार यात्री और एटीएम यातायात को मानना।
- 2.12.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के प्रयोजन से तालिका 14 में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।
- 2.12.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 36 में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक मूल्यहास को मानना।
- 2.12.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 40 में प्रस्तुत औसत आरएबी को मानना।
- 2.12.5 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के प्रयोजन से तालिका 43 के अनुसार एफआरओआर को मानना।
- 2.12.6 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के प्रयोजन से तालिका 54 के अनुसार वैमानिक प्रचालन खर्च को मानना।
- 2.12.7 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के प्रयोजन से तालिका 60 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।
- 2.12.8 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के प्रयोजन से तालिका 64 में यथा उल्लिखित वैमानिक कर को मानना।
- 2.12.9 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 66 में परिकलन किए अनुसार एआरआर और कमी को मानना जिसकी पूर्ति तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण में किए जाने का प्रस्ताव है।

अध्याय 3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

- 3.5.1 कोविड-19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 71 में निर्धारित किए अनुसार यातायात को मानना।
- 3.5.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि की वास्तविक संख्या के आधार पर यातायात को टू-अप करना।

अध्याय 4 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार और मूल्यहास

- 4.9.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के दौरान पैरा 4.8.3 के अनुसार टैरिफ आदेश में अनुमोदित पूंजीकरण के निर्धारित समय के अनुसार किसी भी विशिष्ट पूंजीगत परियोजना के पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर/लक्ष्य राजस्व से परियोजना लागत के पूंजीकृत न किए गए भाग की 1% राशि घटाना (समायोजित करना)।
- 4.9.2 तृतीय नियंत्रण अवधि से संबंधित पूंजीगत परिवर्धनों के लिए 90:10 के टर्मिनल भवन के अनुपात को मानना।
- 4.9.3 पैरा 4.2.18 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि में पूंजीगत परिवर्धनों के लिए वित्तीय भत्ते की अनुमति न देना।
- 4.9.4 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 94 में दिए गए कुल वैमानिक परिसंपत्ति परिवर्धन को टू-अप करना।
- 4.9.5 तालिका 95 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि में वैमानिक मूल्यहास को मानना।
- 4.9.6 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के मूल्यहास को टू-अप करना।
- 4.9.7 तालिका 96 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी को मानना।
- 4.9.8 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक संख्या के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 5 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

- 5.6.1 तालिका 101 के अनुसार 14.00 % ईक्विटी की लागत को मानना।
- 5.6.2 तालिका 100 के अनुसार 6.21% ऋण की लागत को मानना।
- 5.6.3 तालिका 103 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 11.68% एफआरओआर को मानना।
- 5.6.4 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण करने के दौरान ऋण की वास्तविक लागत और परिणामी एफआरओआर को टू-अप करना।

अध्याय 6 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन खर्च

- 6.6.1 तालिका 111 में दिए गए विवरण के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन व्यय को मानना।
- 6.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक संख्या और औचित्य के मूल्यांकन के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन खर्च को टू-अप करना।

अध्याय 7 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर वैमानिक राजस्व

- 7.6.1 तालिका 117 में यथा प्रस्तावित तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर वैमानिक-राजस्व को मानना।
- 7.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक राजस्व और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इसके औचित्य के आधार पर गैर-वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

अध्याय 8: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

- 8.5.1 तालिका 120 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर को मानना।
- 8.5.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के अंत में वास्तविक कर बहिर्वाह के आधार पर वैमानिक कर को टू-अप करना।

अध्याय 9: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

- 9.5.1 पैरा 9.2.3 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के वृहत आर्थिक संकेतकों संबंधी व्यावसायिक पूर्वानुमानों के 69वें सर्वेक्षण में दिए गए वित्त वर्ष 2021-22 के औसत डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति पूर्वानुमान के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 4.9% मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 10 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

- 10.5.1 पैरा 10.2.2 के अनुसार सेवा की गुणवत्ता के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

अध्याय 11 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और लक्ष्य राजस्व

- 11.5.1 तालिका 124 में दिए गए विवरण के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और कमी को निर्धारित करना।
- 11.5.2 अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के दौरान वास्तविक संख्या के आधार पर सभी बिलडिंग ब्लॉकों को टू-अप करना।

अध्याय 12 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

- 12.6.1 तालिका 128 में दिए गए वैमानिक राजस्व को मानना।
- 12.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

14. आदेश

- 14.1.1 ऐरा (संशोधन) अधिनियम, 2019 और ऐरा (संशोधन) अधिनियम, 2021 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतद्वारा आदेश के संलग्नक-I में दर्शाए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे, पुणे में लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।
- 14.1.2 ऐरा (संशोधन) अधिनियम, 2019 और ऐरा (संशोधन) अधिनियम, 2021 के साथ पठित, वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि से प्रभावी आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।
- 14.1.3 यह टैरिफ आदेश 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110 003

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110 003
2. नागर विमानन महानिदेशालय, एआईसी जारी करने के लिए



